रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 2009/भाद्र 14, 1931
No. 172] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 2009/BHADRA 14, 1931

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2009

फा. सं. 12-3/2008-वी.सी.आई.—भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, एतद्द्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् (सामान्य) विनियम, 1991 में संशोधन के लिए आगे निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. (1) ये विनियम भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् (सामान्य) संशोधन विनियम, 2009 के नाम से जाने जाएं ।

(2) ये कार्यालय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् (सामान्य) विनियम, 1991 में, विनियम 34 में, उप-विनियम (3) के बाद ये स्पष्टीकरण जोड़े जाएंगे, नामत: :—

स्पष्टीकरण 1.—इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए "अत्यावश्यकता" का अर्थ तात्कालिक आवश्यकता से उत्पन्न आकस्मिक व्यय को पूरा करना है ।

स्पष्टीकरण 2.—इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए "तत्काल" का अर्थ परिषद् की कार्यकारी समिति को दी जाने वाली ऐसे आवश्यक कार्य और व्यय के विषय में तथ्यों की सूचना है ।

डॉ. अनुप भौमिक, सचिव

[विज्ञापन III/4/141/09-असा.]

टिप्पणी :—प्रधान विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 18 नवम्बर, 1991 की सं. सा.का.नि. 694(अ) के तहत् तथा बाद में 3 फरवरी, 1992 को जारी शुद्धि-पत्र सं. सा.का.नि. 76(अ) के तहत् प्रकाशित तथा 20 अप्रैल, 2005 की सं. सा.का.नि. 242(अ) के तहत् संशोधित किए गए थे ।

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2009

F. No. 12-3/2008-VCI.—In exercise of the powers conferred by Section 66 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Veterinary Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Veterinary Council of India (General) Regulations 1991, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Veterinary Council of India (General) Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Veterinary Council of India (General) Regulations, 1991, in regulation 34, after sub-regulation (3), the following explanations shall be inserted, namely :—

Explanation 1.—For the purposes of this sub-regulation, "urgency" means to meet the unforeseen expenditure arising out of the exigencies.